

न्याय दारा उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(भारतीय अधिकाारी) भारत गूपण गीयल R.A.S. उपखण्ड अधिकाारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 912/2021

निर्णय दिनांक :- 11.11.2021

उपस्थित उपस्थित

शकीला

बनाम तहसीलदार.....

उपस्थित

तहसीलदार.....

.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी शकीला

निवासी..... प्रशासन गांवो

के रांत में जेम्स कोर्ट आयालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम.....

जमाबंदी नं. 2012-76 के खाता संख्या 33 में दर्ज प्रार्थी का नाम.....

पुत्रा गणपतर के स्थान पर शकीला पुत्री गणपतर

दुस्सन नाम से रेकर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली

पर उपस्थित प्रस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार..... से

करवाई गई। तहसीलदार..... ने पटवार हल्का..... व भू0अ0नि0..... की

रिपोर्ट रजिस्टर प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशपा की।

प्रकरण विचार आ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली

गई। तहसीलदार..... से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया। तहसीलदार..... द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का

स्वीकार किया गया। राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:-

4(गण-02/02/19) के तहत तहसीलदार..... को वाके ग्राम..... जमाबंदी

संवत् 2012-76 के खाता संख्या 33 में दर्ज..... पुत्रा गणपतर

..... पुत्री गणपतर

दुस्सन नाम से रेकर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति

तहसीलदार..... को प्रेषित हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

दाखिल किया गया।

निर्णय/आदेश सरे इजलास, कैम्प..... में सुनाया गया।

.....
उपखण्ड अधिकारी
देवली